भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1295
09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

भारतीय मछुआरों पर गोली चलाना

1295. श्री एस. रामलिंगम :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडियाकरई के निकट मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलिप्त भारतीय मछुआरों पर गोली चलाने वाले भारतीय नौसेना के जहाज के अधिकारी के संबंध में जांच की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति और ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने दिनांक 22.10.2023 को मालदीव नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरे की रिहाई और पंजीकरण संख्या आईएनडी-टीएन-12-एमएम-6376 वाले भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने दिनांक 28.10.2023 को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों और पंजीकरण संख्या आईएनडी-टीएन-10-एमएम-860, आईएनडी-आईएन-10-एमएम-985, आईएनडी-टीएन-10-एमएम-915, आईएनडी-टीएन-10-एमएम-717 और आईएनडी-टीएन-10-एमएम-972 की पकड़ी गई मछली पकड़ने वाली 5 नौकाओं की रिहाई के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) : दिनांक 18.12.2022 को बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी पूरी हो चुकी है और भारतीय नौसेना अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। मईलादुथुराई जिले के वानगिरी निवासी कासीराजन के पुत्र, श्री वीरावेल, जो कि गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, को 2 लाख रुपये के मुआवजे

का भुगतान किया गया था। 06 अन्य मछुआरे जिन्हें मामूली चोटें आई थीं, को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 1.20 लाख रुपये (प्रति मछुआरा 20,000/- रुपये) का भुगतान किया गया था।

(ग) : जी, हां। माले स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई में, मछली पकड़ने वाले जहाज आईएनडी-टीएन-12-एमएन-6376 के सभी 12 भारतीय मछुआरे भारत में सुरक्षित लौट आए हैं। माले स्थित भारतीय उच्चायोग के द्वारा जहाज पर लगाए गए जुर्माने के बारे में मालदीव के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त राजनयिक कार्रवाई की गई है।

(घ) और (ड.) : जी, हां। गिरफ्तार किए गए 37 भारतीय मछुआरों में से, नवंबर, 2023 को 36 मछुआरों को वापस भेज दिया गया है और आईएमबीएल को बारंबार क्रास करने के जुर्म में 01 मछुआरे को 02 वर्ष कारावास की सजा दी गई है चूंकि उसे वर्ष 2022 में भी गिरफ्तार किया गया था। 05 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई के लिए श्रीलंका के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त राजनयिक कार्रवाई की गई है।

*****